प्रति,

1. माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली।

2. माननीय मुख्यमंत्री / जनसम्पर्क मंत्री महोदय,
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

3. पुलिस महानिदेशक (DGP) महोदय,
पुलिस मुख्यालय (PHQ),
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)।

4. माननीय अध्यक्ष महोदय,
भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India),
नई दिल्ली।

5. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
पुलिस थाना - लैलूंगा,
जिला - रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विषय : सहायक संचालक (जनसंपर्क) श्रीमती नूतन सिदार द्वारा शासकीय पद एवं मशीनरी का दुरुपयोग कर, जिला कलेक्टर की उपस्थिति वाले शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी सार्वजनिक मानहानि करने, मुझे लिखित में "अपराधी" घोषित करने तथा 1 करोड़ का नोटिस भेजकर डराने (Criminal Intimidation) के प्रकरण की विस्तृत जाँच कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अस्मिता और एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु, मैं ऋषिकेश मिश्रा (स्वतंत्र पत्रकार), निवासी लैलूंगा, इस आवेदन के माध्यम से शासन के 'जीरो टॉलरेंस' नीति के विपरीत एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही 'प्रशासनिक अराजकता' की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

प्रकरण की गंभीरता और तथ्य बिंदुवार निम्नानुसार हैं :

1. समानांतर न्यायिक व्यवस्था और 'अपराधी' शब्द का असंवैधानिक प्रयोग :

दिनांक 02/09/2025 को सहायक संचालक श्रीमती नूतन सिदार ने थाना लैलूंगा में प्रस्तुत एक आवेदन में मुझे दो बार लिखित रूप में "अपराधी" (Criminal) कहा है।
गंभीर प्रश्न: भारत की न्याय व्यवस्था में किसी व्यक्ति को 'अपराधी' घोषित करने का अधिकार केवल न्यायालय को है। एक लोक सेवक (Public Servant) द्वारा बिना दोष-सिद्धि के किसी पत्रकार को लिखित में अपराधी कहना न केवल मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि यह सिद्ध करता है कि उक्त अधिकारी स्वयं को कानून से ऊपर मानती हैं।

2. जिला कलेक्टर की उपस्थिति में 'साइबर मानहानि' (Cyber Defamation) :

उक्त अधिकारी ने पद की गरिमा और 'सिविल सेवा आचरण नियमों' को तार-तार करते हुए, मेरे विरुद्ध लिखे गए अपमानजनक पत्र को 'जनसंपर्क जशपुर' के ऑफिसियल व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया।

PTO

यह कृत्य उस शासकीय पटल पर किया गया जिसके एडमिन स्वयं जिला कलेक्टर, जशपुर हैं। एक जिम्मेदार शासकीय मंच का उपयोग निजी खुन्नस निकालने और मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा (Reputation) की हत्या करने के लिए किया गया, जो कि आई.टी. एक्ट (IT Act) के तहत दंडनीय अपराध है।

3. भ्रष्टाचार उजागर करने पर 1 करोड़ का नोटिस (Intimidation) :

मेरे द्वारा जशपुर जनसंपर्क कार्यालय के पीड़ित कर्मचारी (रविन्द्रनाथ राम) की व्यथा और विभागीय अनियमिताओं को उजागर करने के कारण, मुझे चुप कराने के लिए 1 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है। यह लोकतंत्र की आवाज को 'धन-बल' और 'विधिक-आतंक' (Legal Terrorism) के जरिए कुचलने का प्रयास है।

4. जानकारी छिपाने का षड्यंत्र :

जब मैंने इस षड्यंत्र के दस्तावेज RTI के तहत मांगे, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जानकारी देने में 3 महीने का विलंब किया गया, जिसके विरुद्ध मैं राज्य सूचना आयोग की शरण में हूँ। यह विलंब स्पष्ट करता है कि तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रार्थना :

अतः लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए, मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं उच्च सक्षम प्राधिकारियों से सविनय अनुरोध है कि : इस प्रकरण की किसी निष्पक्ष एजेंसी या उच्च अधिकारी से विस्तृत जाँच करवाई जाए।

शासकीय पद और व्हाट्सएप ग्रुप का दुरुपयोग करने वालीं श्रीमती नूतन सिदार के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। जाँच उपरांत, मानहानि, जानबूझकर अपमान करने और डराने-धमकाने (Criminal Intimidation) के कृत्य हेतु भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं आई.टी. एक्ट की सुसंगत धाराओं में विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्न दस्तावेज (प्रमाण स्वरूप) :

1)नूतन सिदार का वह आवेदन जिसमें मुझे 'अपराधी' घोषित किया गया है।
2)शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट (जिसमें पत्र वायरल किया गया)।
3)1 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस की छायाप्रति।
4)पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं DSP कार्यालय के पत्र (RTI संदर्भ)।
5)पेपर में प्रकाशित खबरों की प्रतियाँ (09 नग)।
6)मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर जशपुर को सौंपे गए आवेदन की प्रति।

सधन्यवाद।

दिनांक: 06 December 2025

Rishikesh

भवदीय,

ऋषिकेश मिश्रा (स्वतंत्र पत्रकार : RM24)
निवासी: ग्राम-राजपुर, लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
मो. नं.: 9340992793

EC249120137IN

Dely Office & Pincode:New Delhi HO(110001)

Booking Office: Urjanagar Telirampur SO (496108)
Counter No. 1, 06-12-2025 12:40:28
GSTNo.22AAAGH0337J1ZU BkgRefID: 1466027006122596944
ChargedWeight(gms):190 Phy.Wt(gms):190 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA H:NA)
ModeofPayment: CASH ()

Sender	Receiver
RISHIKESH MISHRA Mobile No.9340992793 RAJPUR LAILUNGA RAIGARH CHHATTISGARH-496113	PRADHANMATRI Mobile No.1234567890 PMO BHARAT SARKAR NEW DELHI DELHI-110001

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18002666868 , IVR NO : 69672491201
In case of any complaint, please visit https://crm.indiapost.gov.in/customer
Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD
This is system generated document, no manual signature required
06-12-2025 12:42:02

EC249120168IN

Dely Office & Pincode:Raipur GPO(492001)

Booking Office: Urjanagar Telirampur SO (496108)
Counter No. 1, 06-12-2025 12:40:28
GSTNo.22AAAGH0337J1ZU BkgRefID: 1466027006122596944
ChargedWeight(gms):192 Phy.Wt(gms):192 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA H:NA)
ModeofPayment: CASH ()

Sender	Receiver
RISHIKESH MISHRA Mobile No.9340992793 RAJPUR RAIGARH CHHATTISGARH-496113	CHIEF MINISTER Mobile No.1234567890 CG GOVT RAIPUR RAIPUR CHHATTISGARH-492001

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18002666868 , IVR NO : 69672491201
In case of any complaint, please visit https://crm.indiapost.gov.in/customer
Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD
This is system generated document, no manual signature required
06-12-2025 12:42:02

EC249120145IN

Dely Office & Pincode:Raipur GPO(492001)

Booking Office: Urjanagar Telirampur SO (496108)
Counter No. 1, 06-12-2025 12:40:28
GSTNo.22AAAGH0337J1ZU BkgRefID: 1466027006122596944
ChargedWeight(gms):192 Phy.Wt(gms):192 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA H:NA)
ModeofPayment: CASH ()

Sender	Receiver
RISHIKESH MISHRA Mobile No.9340992793 RAJPUR LAILUNGA RAIGARH CHHATTISGARH-496113	DGP Mobile No.1234567890 POLICE HQ RAIPUR RAIPUR CHHATTISGARH-492001

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18002666868 , IVR NO : 69672491201
In case of any complaint, please visit https://crm.indiapost.gov.in/customer
Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD
This is system generated document, no manual signature required
06-12-2025 12:42:02

EC249120123IN

Dely Office & Pincode:New Delhi HO(110001)

Booking Office: Urjanagar Telirampur SO (496108)
Counter No. 1, 06-12-2025 12:40:28
GSTNo.22AAAGH0337J1ZU BkgRefID: 1466027006122596944
ChargedWeight(gms):190 Phy.Wt(gms):190 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA H:NA)
ModeofPayment: CASH ()

Sender	Receiver
RISHIKESH MISHRA Mobile No.9340992793 RAJPUR LAILUNGA RAIGARH CHHATTISGARH-496113	PRESIDENT Mobile No.1234567890 PRESS COUNCIL OF INDIA NEW DELHI NEW DELHI DELHI-110001

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18002666868 , IVR NO : 69672491201
In case of any complaint, please visit https://crm.indiapost.gov.in/customer
Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD
This is system generated document, no manual signature required
06-12-2025 12:42:03

EC249120154IN

Dely Office & Pincode:Lailunga SO(496113)

Booking Office: Urjanagar Telirampur SO (496108)
Counter No. 1, 06-12-2025 12:40:28
GSTNo.22AAAGH0337J1ZU BkgRefID: 1466027006122596944
ChargedWeight(gms):190 Phy.Wt(gms):190 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA H:NA)
ModeofPayment: CASH ()

Sender	Receiver
RISHIKESH MISHRA Mobile No.9340992793 RAJPUR LAILUNGA RAIGARH CHHATTISGARH-496113	THANA PRABHARI Mobile No.1234567890 LAILUNGA RAIGARH CHHATTISGARH-496113

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18002666868 , IVR NO : 69672491201
In case of any complaint, please visit https://crm.indiapost.gov.in/customer
Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD
This is system generated document, no manual signature required
06-12-2025 12:42:02

Booking Ref ID	1466027006122596944
Number of Articles	5
Total Base Tariff	321.00
Total Prepayment	0.00
Total CGST	29.00
Total SGST	29.00
Total IGST	0.00
Total UTGST	0.00
Total Invoice Amount	379.00

Booking Office Name : Urjanagar Telirampur SO
Booking Office Pincode 496108
Booking Office GST No 22AAAGH0337J1ZU
Booking Date 06-12-2025 12:32:43

Thank you for using India Post!
This is system generated document, no manual signature required
06-12-2025 12:42:03

सेवा में,

श्रीमान थाना प्रभारी
जशपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः—मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से परेशान होकर शिकायत करने के संबंध में ।

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि मैं रविन्द्रनाथ राम पिता गेन्दा राम, पता— रूपसेरा खखरा पाठ, पोस्ट—पतराटोली, जिला—जशपुर का निवासी हूँ । यह है कि मैं जिला जन संपर्क कार्यालय जशपुर में सन् 2012 से वर्तमान तक कार्य कर रहा हूँ । राज्योत्सव 2024 से मुझे मेरे अधिकारी नूतन सिदार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है । जबकि मुझे ड्यूटी आदेश दिया जाता है उस आधार पर मुझे कार्य नहीं करवाया जाता है । जबकि मैं अंशकालिन मजदूर हूँ । जिसका वेतन 4,600 रू. प्रति माह के दर से दिया जाता है । इसके बाद भी मुझे फोटोग्राफी, ड्राइविंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर भृत्य एवं मुझे समय—समय पर फोटो प्रदर्शनी का कार्य भी कराया जाता था एवं नीजि कार्य भी कराया जाता था । जबकि मुझे चार घण्टे के हिसाब से वेतन दिया जाता है । ऑफिस का जो भी सामान इधर—उधर हो जाता था, तो मुझे ही जिम्मेदारी ठहराती थी । मैं किसी बात को बताना चाहता था मेरा उस बात को नजर अंदाज कर देती थी । कई बार मुझे लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने का कोशिश की है और मुझे कुछ भी बताना रहता था, उनके चेम्बर में जाता था तो मुझे भड़क जाती थी और मुझे SC, ST एक्ट के तहत् फंसा के मुझे जेल भेज देने की धमकी देती थी । जबकि इतने सारे काम मेरे से कराया जाता है । इसके बाद भी मैं अधिकारी के निर्देश का पालन कर रहा था । इतना काम करने बावजूद मुझे किसी न किसी बात पर डॉट—फटकार करती थी । इसके पश्चात् भी मुझे जैसे—जैसे काम पड़ता है, वैसे—वैसे मेरा पद को बदलते जाते थे । मैं सुबह प्रतिदिन 7 बजे ऑफिस जाता था । और वहाँ झाड़ू—पोछा करने के बाद घर आने के बाद नहा—धोवा कर ऑफिस फिर से जाता था । उसके बाद जब तक ऑफिस बन्द न होता तब तक मैं ऑफिस से कहीं नहीं जाता था । इसके बावजूद मुझे किसी न किसी बात पर मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जाता था । जिससे मैं तंग आकर दिनांक 13/08/2025 को शाम करीब 7:30 बजे कीटनाशक खाकर आत्म हत्या करने को मजबूर हो गया ।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि मुझे न्याय मिल सके ।

दिनांक— 20/08/2025

भवदीय,
रविन्द्र विश्वकर्मा
मो.नं.— 9171050946

प्रतिलिपिः—
1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जशपुर को सूचनार्थ ।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जशपुर को सूचनार्थ ।
3. श्री थाना प्रभारी महोदय, जशपुर सिटी कोतवाली को सूचनार्थ ।

थाना सिटीकोतवाली जशपुर
क्र.
दि -
जिला जशपुर (छ.ग.)

अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर कर्मचारी ने किया आत्महत्या का प्रयास, थाना व एसपी कार्यालय में दी शिकायत...

ट्रैक सीजी न्यूज जशपुर :-

जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला जनसम्पर्क कार्यालय जशपुर में पदस्थ एक अंशकालिक कर्मचारी ने अपने अधिकारी पर लगातार मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़ित ने इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली जशपुर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को लिखित शिकायत सौंपकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता रविन्द्रनाथ राम, पिता गेन्दा राम, निवासी रूपसेरा खखरा पाठ (पोस्ट-पतराटोली) ने बताया कि वह वर्ष 2012 से जनसम्पर्क कार्यालय जशपुर में मात्र 4,600 रुपये मानदेय पर कार्यरत है। कम वेतन के बावजूद उससे फोटोग्राफी, ड्राइविंग, कंप्यूटर संचालन, फोटो प्रदर्शनी तैयार करने सहित कई कार्य कराए जाते थे। इतना ही नहीं, अधिकारी द्वारा उससे निजी कार्य तक करवाए जाते थे।

अधिकारी पर गंभीर आरोप :- कर्मचारी का आरोप है कि राज्योत्सव 2024 के बाद से नूतन सिदार, पदस्थ अधिकारी, द्वारा उसे निरंतर प्रताड़ित किया जाने लगा।

* कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था।

* अधिकारी द्वारा उसे धमकी दी गई कि SC/ST एक्ट में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा।

* लगातार अपमान और दबाव से परेशान होकर 13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 7:30 बजे उसने कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

शिकायत और कार्रवाई की मांग :- पीड़ित ने घटना के बाद साहस जुटाकर थाना प्रभारी जशपुर को लिखित आवेदन सौंपा है। साथ ही शिकायत की प्रतिलिपि कलेक्टर जशपुर एवं पुलिस अधीक्षक जशपुर को भी भेजी गई है। पीड़ित ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने आरोपी अधिकारी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। यह मामला न केवल नौकरीपेशा कर्मचारियों की असुरक्षा को उजागर करता है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में मनमानी और मानसिक प्रताड़ना पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

जनसंपर्क जशपुर

only admins can send messages

6:38 pm

PRO JASHPUR

Forwarded

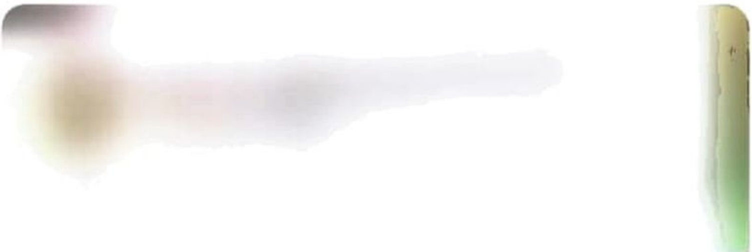

Book 21 Aug 2025.pdf

4 pages • 2.1 MB • PDF

7:18 pm

दीपक वर्मा लीगल नोटिस 7:19 pm

कुनकुरी 7:19 pm

PRO JASHPUR

Forwarded

Adobe Scan 21 Aug 2025.pdf

3 pages • 1.6 MB • PDF

7:19 pm

रविन्द्र विश्वकर्मा लीगल नोटिस 7:19 pm

Only admins can send messages

जनसंपर्क जशपुर
only admins can send messages

Pro Nutan
Forwarded

Sailendra.pdf
4 pages • 2.4 MB • PDF

19:54

शैलेन्द्र चितनवीश आदर्श नगर कुनकुरी
19:54

किसी पोर्टल का छुट गया है क्या बताने की कृपा करें
20:02

👍 😂 5

Yesterday

Pro Nutan
जशपुर की बेटी सरस्वती सोरेन ने छुआ सुरों का आकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बढ़ाया हौसला, प्रोत्साहन राशि

You'll get notifications only for @mentions, replies, messages from contacts and more for larger groups. Change in group settings.

Receive all | OK

Only admins can send messages

16:13 VoLTE 5G 82

जनसंपर्क जशपुर

Nutan Pro — Group Admin
Hey there! I am using WhatsApp.

Pro Nutan — Group Admin
Hey there! I am using WhatsApp.

कलेक्टर रोहित व्यास — Group Admin
Collector and District Magistrate

~ G K Shukla — Group Admin
+91 73545 36017

~ jashpurravi736 — Group Admin
+91 91799 17571

Abhishek Patthlgaon
NDTV (MP. CG.)

Anand Gupta
The hitavada ✍

Ashish Haribhumi
सच्ची बात, बेधड़क

Atul Rim
जय परशुराम जय महाकाल

View all (135 more)

मुख्यमंत्री के गृह ज़िले जशपुर में जनसम्पर्क विभाग पर गंभीर आरोप : पीड़ित ने आत्महत्या का किया प्रयास , अधिकारी पर शोषण और दलालशाही के आरोप ; पीड़ित ने भी किया जवाबी पत्र में 1 करोड़ का मानहानि का दावा ?...

मुख्यमंत्री साहब अपने गृह जिले में कम से कम पीड़ित को न्याय तो दिलवा दो...

ट्रैक सीजी न्यूज जशपुरनगर :-
मुख्यमंत्री के गृह ज़िले जशपुर में जिला जनसम्पर्क कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग के अंशकालीन कर्मचारी रविन्द्रनाथ राम ने सहायक संचालक नूतन सिदार पर शोषण, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी का कहना है कि लगातार दबाव और अपमान से तंग आकर उसने 13 अगस्त को कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

सफाईकर्मी से कराया हर काम : रविन्द्रनाथ राम वर्ष 2012 से अंशकालीन सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत है। उसका आरोप है कि सहायक संचालक ने उससे सफाई कार्य के अलावा वाहन चलाना, कंप्यूटर संचालन, फोटोग्राफी, सरकारी पत्रिका वितरण, डाक लाना-ले जाना और गांव-गांव जाकर

योजनाओं का प्रचार-प्रसार जैसे कार्य कराए। यही नहीं, कार्यालय समय के बाद उसे घर बुलाकर झाड़ू-पोंछा, बर्तन धोने और बिजली के निजी काम भी करवाए जाते थे।

धमकियों से भयभीत रहा कर्मचारी : कर्मचारी ने कहा कि विरोध करने पर उसे नौकरी से निकाल देने और स्थ/स्ज्ञ/ष्ह के तहत फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जाती थी। यही कारण है कि कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी भयवश चुप्पी साधे रहते हैं।

आत्महत्या का प्रयास और अस्पताल में भर्ती : 13 अगस्त की शाम रविन्द्रनाथ राम ने कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय जशपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ उसे हाई रिस्क वार्ड में रखा गया। अस्पताल प्रशासन ने उपचार के दौरान उसके परिजनों से लिखित सहमति भी ली।

फर्जी नियुक्ति और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप : अपने बयान में कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यालय में 'अजय सिदार' नामक एक काल्पनिक कंप्यूटर ऑपरेटर दिखाकर उसका वेतन आहरित किया जा रहा है। इसके अलावा पत्रकारों को भुगतान कराने के लिए उसके निजी बैंक खाते का उपयोग किया गया।

मुआवजे की मांग : पीड़ित ने कहा कि उसकी स्थिति के लिए पूरी तरह सहायक संचालक जिम्मेदार हैं। उसने मांग की है कि उसे एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, अन्यथा वह न्यायालय में वाद दायर करेगा।

पुलिस की भूमिका पर प्रश्नचिह्न : कर्मचारी ने कहा कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई, किंतु अधिकारी के प्रभाव के कारण पुलिस न तो अस्पताल पहुंची और न ही उसका बयान दर्ज किया। आरोप है कि घटना दबाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया गया।

समाज और पत्रकार जगत में चर्चा : घटना के बाद अस्पताल में नागरिकों और पत्रकारों ने पीड़ित से मुलाकात की। पीड़ित का कहना है कि उपचार के दौरान भी उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत उसने 20 अगस्त को थाना प्रभारी को की है।

दलालशाही पर जनता का सवाल : यह मामला अब केवल एक कर्मचारी की पीड़ा तक सीमित नहीं रहा। जिले के नागरिकों का कहना है कि सरकारी विभागों में दलालों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

Raigarh ICH 496001
SP EC298949824IN, IVR No: 18002666868
02/09/2025 20:25:04, Counter No. 1
To: POLICE ADHIKSHAK
RAIGARH , RAIGARH, 496001
From: NUTAN SIDAR
JAN SAMPARK KARYAL, JASHPUR, 496331
Base Amt: 15.00
Wt:15(Actual)
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

Raigarh ICH 496001
SP EC298949838IN, IVR No: 18002666868
02/09/2025 20:25:37, Counter No. 1
To: THANA PRABHARI
LAILUNGA THANA , RAIGARH, 496112
From: NUTAN SIDAR
JAN SAMPARK KARYAL, JASHPUR, 496331
Base Amt: 35.00
Wt:15(Actual)
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक

जशपुर (छ0ग0)

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख है कि मैं जिला संपर्क कार्यालय जशपुर में सहायक संचालक पद पर पदस्थ हूं । ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ में रहने वाला ऋषिकेश मिश्रा (मोबाइल नंबर 9340992793) नामक एक व्यक्ति सोशल मीडिया में **मेरा फोटो डालकर मुझे बदनाम कर रहा है** एवं मेरे विरुद्ध झूठा मैसेज विभिन्न ग्रुप में भेज रहा है ।

उक्त अपराधी सोशल मीडिया में बिना मेरी अनुमति के **मेरा फोटो वायरल कर रहा है** और पूरी तरह झूठा संदेश प्रसारित कर रहा है, जो आई.टी. एक्ट के तहत गंभीर अपराध है ।

मैं निवेदन करती हूं कि अपराधी ऋषिकेश मिश्रा, निवासी– ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ के विरुद्ध अपराध दर्ज करने एवं उसका मोबाइल जप्त करने एवं उसे गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

जशपुर

दिनांक –02 / 09 / 2025

आवेदिका
नूतन सिदार
सहायक संचालक,
जन संपर्क कार्यालय, जशपुर,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
मो.नं.–7970006615

संलग्न – अपमानकारी मैसेज का स्कीनशॉट ।

प्रति,

श्रीमान् थाना प्रभारी,

पुलिस थाना कोतवाली,

जशपुर (छ0ग0)

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख है कि मैं जिला संपर्क कार्यालय जशपुर में सहायक संचालक पद पर पदस्थ हूं । ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ में रहने वाला ऋषिकेश मिश्रा (मोबाइल नंबर 9340992793) नामक एक व्यक्ति सोशल मीडिया में **मेरा फोटो डालकर मुझे बदनाम कर रहा है** एवं मेरे विरुद्ध झूठा मैसेज विभिन्न ग्रुप में भेज रहा है ।

उक्त अपराधी सोशल मीडिया में बिना मेरी अनुमति के **मेरा फोटो वायरल कर रहा है** और पूरी तरह झूठा संदेश प्रसारित कर रहा है, जो आई.टी. एक्ट के तहत गंभीर अपराध है ।

मैं निवेदन करती हूं कि अपराधी ऋषिकेश मिश्रा, निवासी– ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ के विरुद्ध अपराध दर्ज करने एवं उसका मोबाइल जप्त करने एवं उसे गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

जशपुर

दिनांक –02/09/2025

आवेदिका
नूतन सिदार
सहायक संचालक,
जन संपर्क कार्यालय, जशपुर,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
मो.नं.–7970006615

संलग्न – अपमानकारी मैसेज का स्क्रीनशॉट ।

प्रति,

श्रीमान् थाना प्रभारी,

पुलिस थाना लैलुंगा

जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख है कि मैं जिला संपर्क कार्यालय जशपुर में सहायक संचालक पद पर पदस्थ हूं । ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ में रहने वाला ऋषिकेश मिश्रा (मोबाइल नंबर 9340992793) नामक एक व्यक्ति सोशल मीडिया में **मेरा फोटो डालकर मुझे बदनाम कर रहा है** एवं मेरे विरुद्ध झूठा मैसेज विभिन्न ग्रुप में भेज रहा है ।

उक्त अपराधी सोशल मीडिया में बिना मेरी अनुमति के **मेरा फोटो वायरल कर रहा** है और पूरी तरह झूठा संदेश प्रसारित कर रहा है, जो आई.टी. एक्ट के तहत गंभीर अपराध है ।

मैं निवेदन करती हूं कि अपराधी ऋषिकेश मिश्रा, निवासी– ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ के विरुद्ध अपराध दर्ज करने एवं उसका मोबाइल जप्त करने एवं उसे गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

जशपुर

दिनांक –02/09/2025

श्रीमती नूतन सिदार

आवेदिका
नूतन सिदार
सहायक संचालक,
जन संपर्क कार्यालय, जशपुर,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
मो.नं.–7970006615

संलग्न – अपमानकारी मैसेज का स्क्रीनशॉट ।

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक

रायगढ़ (छ0ग0)

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख है कि मैं जिला संपर्क कार्यालय जशपुर में सहायक संचालक पद पर पदस्थ हूं । ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ में रहने वाला ऋषिकेश मिश्रा (मोबाइल नंबर 9340992793) नामक एक व्यक्ति सोशल मीडिया में **मेरा फोटो डालकर मुझे बदनाम कर रहा है एवं मेरे विरुद्ध झूठा मैसेज विभिन्न ग्रुप में भेज रहा है** ।

उक्त अपराधी सोशल मीडिया में बिना मेरी अनुमति के **मेरा फोटो वायरल कर रहा है** और पूरी तरह झूठा संदेश प्रसारित कर रहा है, जो आई.टी. एक्ट के तहत गंभीर अपराध है ।

मैं निवेदन करती हूं कि अपराधी ऋषिकेश मिश्रा, निवासी– ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ के विरुद्ध अपराध दर्ज करने एवं उसका मोबाइल जप्त करने एवं उसे गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

जशपुर

दिनांक –02 / 09 / 2025

श्रीमती नूतन सिदार

आवेदिका
नूतन सिदार
सहायक संचालक,
जन संपर्क कार्यालय, जशपुर,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
मो.नं.–7970006615

संलग्न – अपमानकारी मैसेज का स्क्रीनशॉट ।

7:18 26 43%

PRO Jashpur
last seen today at 7:16 pm

मुख्यमंत्री के गृह ज़िले जशपुर में जनसम्पर्क विभाग पर गंभीर आरोप : पीड़ित ने आत्महत्या का किया प्रयास , अधिकारी पर शोषण और दलालशाही के आरोप ; पीड़ित ने भी किया जवाबी पत्र में 1 करोड़ का मानहानि का दावा ?...

- मुख्यमंत्री साहब अपने गृह जिले में कम से कम पीड़ित को न्याय तो दिलवा दो...

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री के गृह ज़िले जशपुर में जिला जनसम्पर्क कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग के अंशकालीन कर्मचारी रविन्द्रनाथ राम ने सहायक संचालक नूतन सिदार पर शोषण, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी का कहना है कि लगातार दबाव और अपमान से तंग आकर उसने 13 अगस्त को कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

सफाईकर्मी से कराया हर काम : रविन्द्रनाथ राम वर्ष 2012 से अंशकालीन सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत है। उसका आरोप है कि सहायक संचालक ने उससे सफाई कार्य के अलावा वाहन चलाना, कंप्यूटर संचालन,

Message

एवं शुभकामनाए दी।

दर्ज की गई।

अस्वीकार्य है

डाकघर का महाआश्चर्य : 'जनसंपर्क बाबू' की कृपा से अब रायगढ़ में रात 8 बजे भी मिल रही VIP डाक सेवा!...

ट्रैक सीजी न्यूज रायगढ़ :-

कहते हैं कि आम जनता के लिए डाकघर का दरवाज़ा समय पर बंद हो जाता है, लेकिन अफसरों और उनके खासों के लिए यहाँ घड़ी उल्टी चलती है। जनसंपर्क विभाग के एक 'दोगलीबाज़ अधिकारी' ने कमाल कर दिया– रात 8 बजे के बाद भी डाकघर खुलवाकर पुलिस अधीक्षक और थानेदार को रहस्यमयी डाक भेज दी।

सूत्रों के अनुसार –

रात 20:25 बजे रायगढ़ ड्डष्ट॥ काउंटर से पहली डाक सीधे पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के नाम दर्ज की गई।

* कुछ ही पलों में दूसरी डाक थाना प्रभारी, लैलुंगा थाना को संबोधित कर दी गई।

आम जनता की हालत और अफसरों की औक़ात :

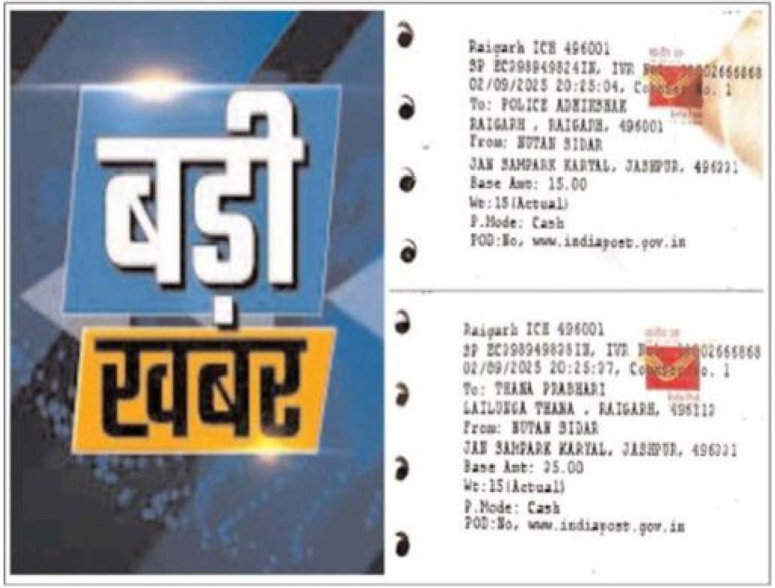

* आम आदमी 5 मिनट लेट पहुँचे तो क्लर्क डपटकर कहता है समय ख़त्म, कल आइए।

* लेकिन जब 'जनसंपर्क बाबू' आते हैं, तो डाकघर की घड़ी रुक जाती है, काउंटर फिर से खुल जाता है और रात के अंधेरे में भी 'गुप्त डाक सेवा' शुरू हो जाती है।

व्यंग्य का तीर : रायगढ़ में अब शुरू हो चुकी है नई सुविधा –

जनसंपर्क प्रीमियम नाइट सर्विस ङ्क सिर्फ़ बाबुओं और उनके गुप्त पत्राचार के लिए।

आम जनता चाहे तो सपने में ही डाक भेज सकती है, हकीकत में तो उन्हें 5 बजे के बाद ताला ही नज़र आता है।

जनता का करारा तंज : लोगों ने हंसते हुए कहा –वाह! अगर यही सुविधा हमें भी मिल जाए तो हम बिजली बिल, राशन कार्ड और शादी के कार्ड रात को आराम से भेज सकें। लेकिन अफ्सोस, हम आम आदमी हैंज्‌ हमारे लिए डाकघर में घड़ी हमेशा तेज़ चलती है, और बाबुओं के लिए हमेशा धीमी।

जनसंपर्क जशपुर
only admins can send messages

न

नूतन मेडम
Forwarded

Adobe Scan 2 Sep 2025 (3).pdf
4 pages • 1.2 MB • PDF
8:11 pm

नूतन मेडम
Forwarded

Adobe Scan 2 Sep 2025 (2).pdf
2 pages • 599 kB • PDF
8:12 pm

नूतन मेडम
Forwarded

Book 2 Sep 2025.pdf

Only admins can send messages

जनसंपर्क जशपुर

only admins can send messages

पहुँचे, तो यह मानहानि का मामला हो सकता है।

सारांश

संक्षेप में कहें तो, बिना अनुमति के किसी की तस्वीर प्रकाशित करना आम तौर पर गैरकानूनी है, खासकर अगर:

* तस्वीर किसी निजी जगह पर ली गई हो।
* इसका इस्तेमाल व्यावसायिक (Commercial) उद्देश्य के ... Read more

8:49 pm

👍 🙏 6

न

नूतन मेडम

Forwarded

Raigarh ICH 496001

SP EC398894982 4IN, IVR

02/09/2025 20:25:04,

To: POLICE ADHIKSHAK

RAIGARH , RAIGARH, 496001

From: NUTAN SIDAR

JAN SAMPARK KARYAL, JASHPUR,

Base Amt: 15.00

Wt:15(Actual)

P.Mode: Cash

POD:No, www.indiapost.gov.in

9:39 pm

Only admins can send messages

जनसंपर्क जशपुर

only admins can send messages

नूतन मेडम

Forwarded

9:39 pm

Wednesday

न

नूतन मेडम

Forwarded

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी ,जल्द शुरू होगा इस सड़क का निर्माण, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा....

Only admins can send messages

BHARAT SAMMAN
MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
OUR STRENGTH • हमारी शक्ति
Ministry of MSME, Govt. of India
UDYAM-CG-16-0006830

14 वर्ष निर्भीक पत्रकारिता के
अब 15वें वर्ष की ओर
पाठकों/दर्शकों का असीम स्नेह

Bharatsamman.com | Bharat samman | Bharat Samman

वर्ष-15 अंक-82 | अम्बिकापुर, गुरुवार 04 सितंबर 2025 | कुल पृष्ठ-4 मूल्य-1.00 रू.

सहायक संचालक नूतन सिदार विवादों में

मुख्यमंत्री के गृह ज़िले से उठी प्रेस की आज़ादी पर बड़ी बहस

सोशल मीडिया पर विवादित प्रकरणः क्या सहायक संचालक नूतन सिदार अपनी पद की गरिमा भूल रही हैं?

भारत सम्मान न्यूज-रायपुर/रायगढ़/जशपुर । विशेष रिपोर्ट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश की पत्रकार बिरादरी को हिला दिया है। जनसम्पर्क विभाग की सहायक संचालक नूतन सिदार ने पत्रकार ऋषिकेश मिश्र पर मानहानि का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ से स्न्द्वफ्र मोबाइल जब्ती और गिरफ्तारी की मांग की है। जिला सम्पर्क कार्यालय जशपुर की सहायक संचालक नूतन सिदार एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों और मैसेजों को लेकर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रायगढ़ जिले के एक ग्रामीण युवक ऋषिकेश मिश्र उनकी फोटो और संदेश वायरल कर बदनाम कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर आलोचना को दबाने के लिए प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी सीधे पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की धमकी का सहारा लेंगे? लोकतांत्रिक समाज में पत्रकार और आमजन सवाल पूछेंगे ही, परंतु क्या इन सवालों का जवाब कार्रवाई से दिया जाएगा?

नतीजा

इस पूरे मामले ने नूतन सिदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि अधिकारी हर सवाल उठाने वाले पर पुलिस केस दर्ज कराएंगे, तो फिर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा?

अब देखना है कि पुलिस इस मामले को कैसे लेती है ङ्क जनता की आवाज़ का सम्मान करते हुए या फिर अधिकारी की दबंगई के दबाव में?

यह मामला सिर्फ एक पत्रकार और अधिकारी का नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता स्वतंत्र रहेगी या अफसरशाही के दबाव में दम तोड़ देगी।

जनसंपर्क विभाग का कारनामा

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक

रायगढ़ (छ0ग0)

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख है कि मैं जिला संपर्क कार्यालय जशपुर में सहायक संचालक पद पर पदस्थ हूं । ग्राम–राजपुर (बधानपारा डाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ में रहने वाला ऋषिकेश मिश्रा (मोबाइल नंबर 9340992793) नामक एक व्यक्ति सोशल मीडिया में मेरा फोटो डालकर मुझे बदनाम कर रहा है एवं मेरे विरुद्ध झूठा मैसेज विभिन्न ग्रुप में भेज रहा है ।

उक्त अपराधी सोशल मीडिया में बिना मेरी अनुमति के मेरा फोटो वायरल कर रहा है और पूरी तरह झूठा संदेश प्रसारित कर रहा है, जो आई.टी. एक्ट के तहत गंभीर अपराध है ।

मैं निवेदन करती हूं कि अपराधी ऋषिकेश मिश्र, निवासी– ग्राम–राजपुर (बधानपारा डाप रोड) तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ के विरुद्ध अपराध दर्ज करने एवं उसका मोबाइल जप्त करने एवं उसे गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

जशपुर

दिनांक –02/09/2025

श्रीमति नूतनसिदार

आवेदिका
नूतन सिदार
सहायक संचालक,
जन संपर्क कार्यालय, जशपुर,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
मो.नं.–7970006615

संलग्न – अपमानकारी मैसेज का स्क्रीनशॉट ।

आलोचना सहन क्यों नहीं?

नूतन सिदार की शिकायत से यह साफ झलकता है कि वह किसी भी तरह की आलोचना या टिप्पणी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। पद पर रहते हुए यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही से काम करें। मगर सोशल मीडिया पर सवाल उठने पर उसे फ्रआईटी एक्ट का गंभीर अपराधफ्र बताकर सीधे गिरफ्तार कराने की मांग क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का गला नहीं घोंटती?

अधिकारी या दबाव बनाने वाली?

आवेदन में नूतन सिदार ने जिस तरह सख्ती से कार्रवाई की मांग की है, उससे यह संदेश जा रहा है कि वह अपने पद का इस्तेमाल करके जनता की आवाज़ दबाने और आलोचकों को डराने की कोशिश कर रही हैं। यह रवैया जनसम्पर्क विभाग के मूल उद्देश्य के ही विपरीत है। विभाग का काम जनता और शासन के बीच सेतु का बनना है, न कि आम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना।

प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला

पत्रकार संगठनों ने इसे प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यदि हर पत्रकार को सच्चाई लिखने पर एफआईआर और गिरफ्तारी का डर दिखाया जाएगा, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

अफसरशाही का नया रूप?

नूतन सिदार का आवेदन पढ़ने के बाद यह साफ झलकता है कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। पत्रकारिता पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का सहारा लेना न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि जनता की आवाज़ दबाने की साजिश भी माना जा रहा है।

संगठनों ने दी चेतावनी

स्थानीय पत्रकार संगठनों का कहना है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की साजिश लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने वाली है।

विपक्ष को मिला मुद्दा

यह मामला जैसे ही सार्वजनिक हुआ, विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के विभाग में बैठे अफसर पत्रकारों पर दमनात्मक कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं, जो विष्णु देव साय की 'पारदर्शी शासन' की छवि को धूमिल करता है।

मुख्यमंत्री के विभाग पर सवाल

गौरतलब है कि नूतन सिदार जिस जनसम्पर्क विभाग से जुड़ी हैं, वही विभाग सीधे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पास है। ऐसे में यह मामला केवल एक अफसर और एक पत्रकार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह अब सीधे मुख्यमंत्री की छवि और उनके शासन के रुख से जुड़ गया है।

सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के गृह ज़िले में ही पत्रकारों की आवाज़ दबाई जाएगी?

क्या मुख्यमंत्री का विभाग ही लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करेगा?

सवाल जनता के मन में

क्या वाकई सोशल मीडिया पर आलोचना अपराध है?

क्या अधिकारी अपनी छवि की आड़ में जनता की आवाज़ दबा सकते हैं?

क्या नूतन सिदार का यह कदम पद के दुरुपयोग की श्रेणी में नहीं आता?

क्या प्रशासनिक पद पर बैठे अफसर अपनी आलोचना सहन नहीं कर पा रहे?

क्या अब पत्रकारिता करना अपराध माना जाएगा?

आलोचना से बौखलाई अफसरशाही : पत्रकार को ही बना दिया अपराधी...

ट्रैक सीजी न्यूज जशपुर :-
जनसंपर्क विभाग की एक महिला अधिकारी इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों से इतनी बौखलायी हुई हैं कि मानो किसी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा, बल्कि उनकी कुर्सी ही हिला दी हो। मामला यह है कि एक पत्रकार ने उनके खिलाफ खबर प्रकाशित की और फोटो के साथ सोशल मीडिया पर डाली। बस, इसके बाद अधिकारी महोदया का धैर्य टूट गया और वे थाने की शरण में पहुंच गईं।

थाने में दिए गए आवेदन में उन्होंने लिखा मेरी अनुमति के बिना मेरा फोटो डाला गया और मेरे खिलाफझूठा संदेश प्रसारित किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या पत्रकार खबर प्रकाशित करने से पहले अब अधिकारियों से अनुमति-पत्र लेंगे? क्या सच लिखना और सवाल उठाना अब आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाएगा?

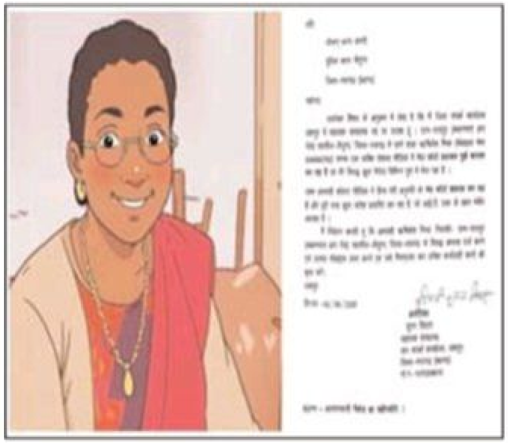

पत्रकार को सीधे अपराधी करार देकर एफआईआर की मांग करना, अफसरशाही की पुरानी चाल को उजागर करता है- सच सामने आते ही पत्रकार को दोषी बना दो। जनता तंज कस रही है कि अगर हर आलोचना और हर खबर पर पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज होने लगे, तो देश के सारे थाने प्रेस क्लब में बदल जाएंगे।

असल में, यह लड़ाई किसी फोटो या संदेश की नहीं है; यह लड़ाई है सच बनाम अफसरशाही की। जब पत्रकार ने आईना दिखाया तो अधिकारी महोदया को अपना चेहरा ही असहज लगने लगा। और जब सच असहज लगे, तो सबसे आसान रास्ता है, पत्रकार को अपराधी ठहरा दो और पुलिस को पीछे लगा दो।

जनता पूछ रही है - जिस विभाग का नाम ही जनसंपर्क है, यदि वहीं के अधिकारी जनता की आवाज और पत्रकारों की खबरों से डरकर थाने भागने लगें, तो इस विभाग का नाम बदलकर जनसे बचाव विभाग कर देना चाहिए।

सच यही है कि अफसरशाही अब इतनी खोखली हो चुकी है कि एक खबर और एक फोटो से ही उसकी नींव हिल जाती है। अगर आलोचना सहन नहीं हो रही, तो अधिकारी महोदया को चाहिए कि वे कुर्सी छोड़कर सीधे किसी आश्रम की साधना कुटी में चली जाएं - जहां न फोटो खिंचेगा, न खबर बनेगी और न ही पत्रकार परेशान करेगा।

पत्रकारों पर नोटिस, धमकी और अपमान

जनसम्पर्क अधिकारी नूतन सिदार का विवादित रवैया उजागर?

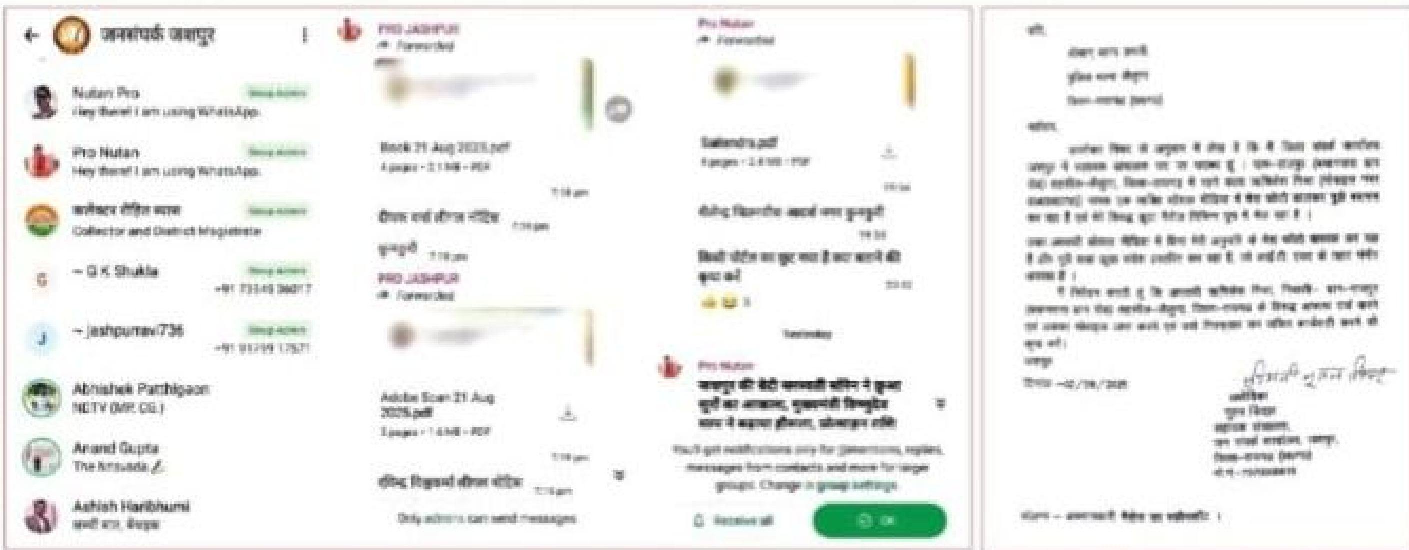

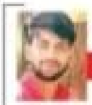

जशपुर नगर। पत्रकारों को डराने और उनकी आवाज़ दबाने की नयी साजिश का खुलासा हुआ है। जनसम्पर्क अधिकारी नूतन सिदार ने अपने कर्मचारी रविन्द द्वारा थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी गई शिकायत को आधार बनाकर पत्रकारों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस भेजे गए। इससे भी गंभीर बात यह कि फ़ोन करके आत्महत्या कर फंसाने तक की धमकी दी गई। यह कदम सीधे-सीधे पत्रकारों को मानसिक रूप से तोड़ने और उनकी कलम रोकने की कुत्सित कोशिश है।

पत्रकारों को अपराधी बताने की साजिश : नोटिस भेजने के साथ ही पत्रकारों का सार्वजनिक अपमान किया गया और उन्हें

अपराधी करार देते हुए एफआईआर दर्ज कराने तक की प्रक्रिया शुरू की गई। इतना ही नहीं, उक्त नोटिस को जनसंपर्क ग्रुप में डालकर खुलेआम लिखा गया-कोई पोर्टल छूटा तो नहीं? । हैरानी की बात यह है कि इस अमर्यादित पोस्ट को ग्रुप में मौजूद कुछ कथित पत्रकारों ने लाईक भी किया।

जनसंपर्क ग्रुप का निजीकरण : शासकीय जनसंपर्क ग्रुप, जहां प्रशासनिक अधिकारी समाचार साझा करते हैं, अब पूरी तरह निजी स्वार्थ का शिकार हो चुका है। जनसम्पर्क अधिकारी नूतन सिदार अपने चहेतों को ही ग्रुप में बनाए रखती हैं और उनके माध्यम से लाभ उठाती हैं।

जो पत्रकार उनकी मनमर्जी के अनुसार नहीं चलते, उन्हें धीरे-धीरे ग्रुप से बाहर कर दिया जा रहा है। हाल ही में एक निजी चैनल के पत्रकार को भी मनमाने ढंग से ग्रुप से हटा दिया गया। जबकि किसी पत्रकार को ग्रुप से हटाने का अधिकार शायद जनसम्पर्क अधिकारी के पास नहीं है।

प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल : सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ग्रुप में स्वयं कलेक्टर रोहित व्यास भी शामिल हैं और इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि पूरा मामला और भी संवेदनशील हो गया है, फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है।

यह घटनाक्रम केवल कुछ पत्रकारों पर हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की गरिमा और स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। जनसम्पर्क जैसे शासकीय मंच को निजी स्वार्थ और धमकी का अड्डा बना देना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है।

मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर से उठी लोकतंत्र की चीख...

मुख्यमंत्री के गृह जिले से लोकतंत्र पर हमला-जशपुर में पत्रकारों को करोड़ों की मानहानि नोटिस

फोन पर आत्महत्या में फँसाने की धमकी- शासकीय ग्रुप का निजीकरण कर पत्रकारों का अपमान

पत्रकारों को डराने की साजिश पर चुप क्यों हैं मुख्यमंत्री और जनसंपर्क आयुक्त?

प्रदेश खबरदार
अमित विष्णु गुप्ता
छत्तीसगढ़ संवाददाता

कलेक्टर मौन... पुलिस प्रशासन खामोश?

मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में पत्रकारों को धमकाकर चुप कराने की साजिश ने लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया है। आरोप है कि जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक नूतन सिदार ने अपने कर्मचारी रविन्द्र की पत्नी से दी गई शिकायत को हथियार बनाकर पत्रकारों पर करोड़ों की मानहानि नोटिस थमा दिए और धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया। पत्रकारों को फोन पर आत्महत्या में फँसाने की धमकी तक मिली। इस घटनाक्रम ने यह गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सब किसी बड़े संरक्षण या मौन सहमति के बिना संभव था?

करोड़ों की मानहानि और धमकियों की बौछार

पत्रकारों को डराने और दबाव बनाने के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस भेजे गए। इतना ही नहीं, धमकियों का स्तर इस कदर बढ़ गया कि फोन पर आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराकर फँसाने तक की बातें कही गईं। यह सिर्फ एक अधिकारी की मनमानी नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है।

जनसंपर्क आयुक्त पर सवाल

जनसंपर्क विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन होता है। मौजूदा जनसंपर्क आयुक्त, जो पूर्व में जशपुर कलेक्टर भी रह चुके हैं, इस पूरे घटनाक्रम से अंजान नहीं हो सकते। सवाल उठ रहे हैं- क्या आयुक्त को जशपुर के इस विवाद की जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर जानकारी नहीं है, तो क्या विभाग बेलगाम और बेकाबू हो चुका है?

जशपुर चलो जशपुर चलो

10/09/2025 दिन- बुधवार

पत्रकारिता की असमिता खतरे में है।

विनीत- सर्व पत्रकार संघ छत्तीसगढ़।

मुख्यमंत्री की चुप्पी सबसे बड़ा प्रश्न : जनसंपर्क विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है। ऐसे में जब पत्रकारों पर करोड़ों की मानहानि नोटिस दागे जा रहे हैं, आत्महत्या में फँसाने जैसी धमकियाँ दी जा रही हैं, और शासकीय ग्रुप का निजीकरण कर पत्रकारों का अपमान किया जा रहा है-तो मुख्यमंत्री अब तक चुप क्यों हैं?

क्या मुख्यमंत्री की यह चुप्पी नूतन सिदार और उनके संरक्षकों को संरक्षण देने का काम कर रही है?

कलेक्टर और प्रशासन की मौन सहमति : शासकीय ग्रुप में हुए इस पूरे अपमानजनक घटनाक्रम के दौरान स्वयं कलेक्टर रोहित व्यास मौजूद थे। बावजूद इसके, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन न तो कलेक्टर बोले, न पुलिस प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन की यह चुप्पी साफ संकेत देती है कि सत्ता और तंत्र दोनों पत्रकारों को डराने की इस साजिश में मौन सहमति से शामिल हैं।

लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी : यह घटनाक्रम केवल जशपुर तक सीमित नहीं है। यह उस मानसिकता को उजागर करता है जहां पत्रकारों को चुप कराने के लिए सरकारी तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाली पत्रकारिता पर यह सीधा हमला है।

जनता के सवाल मुख्यमंत्री से क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि उनके अधीन आने वाला जनसंपर्क विभाग अब जन विभाग न होकर भय विभाग क्यों बन गया है? क्या नूतन सिदार और उनके संरक्षकों पर कोई कार्रवाई होगी? या फिर यह मान लिया जाए कि यह पूरी साजिश शीर्ष स्तर की मौन स्वीकृति से संचालित हो रही है?

संयुक्त पत्रकार संघ ने खोला मोर्चा, 10 सितम्बर को जशपुरनगर में जुटेंगे प्रदेशभर के पत्रकार

जिले में पत्रकारों को धमकाने और उनकी आवाज दबाने के खिलाफ अब प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। संयुक्त पत्रकार संघ ने घोषणा की है कि आगामी 10 सितम्बर 2025 (बुधवार) को प्रदेशभर के पत्रकार जशपुरनगर में एकत्रित होंगे।

संयुक्त पत्रकार संघ का कहना है कि जशपुर में पत्रकारों को एक-एक करोड़ के मानहानि नोटिस भेजना, आत्महत्या में फँसाने की धमकी देना और शासकीय ग्रुप का निजीकरण कर उनका अपमान करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब यह केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश के पत्रकारों की अस्मिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल बन गया है। पत्रकार संघ ने स्पष्ट किया है कि अगर इस मामले में शासन-प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

आह्वान : संयुक्त पत्रकार संघ ने प्रदेश के सभी पत्रकारों से अपील की है कि वे 10 सितम्बर को जशपुरनगर पहुँचकर इस ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा बनें और लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करें।

निष्कर्ष: जशपुर का यह प्रकरण लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यदि मुख्यमंत्री और जनसंपर्क आयुक्त इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करते, तो यह संदेश जाएगा कि सरकार अब पत्रकारों की कलम तोड़ने की खुली मुहिम चला रही है।

प्रति,

मानवीय मुख्यमंत्री,

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

माध्यम : जिला कलेक्टर, जशपुर

विषय : मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में पत्रकारों को करोड़ों की मानहानि नोटिस एवं आत्महत्या में फँसाने की धमकी देकर लोकतंत्र पर हमला – दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में पत्रकारों के साथ घोर अन्याय और लोकतंत्र पर सीधा हमला हुआ है।

1. जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक नूतन सिदार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी की शिकायत का दुरुपयोग कर पत्रकारों को एक-एक करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस भेजे।
2. पत्रकारों को फोन पर आत्महत्या में फँसाने की धमकी दी गई, जो न केवल घोर आपराधिक कृत्य है बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला भी है।
3. शासकीय ग्रुप का निजीकरण कर पत्रकारों का अपमान किया गया। इस दौरान कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास भी मौजूद थे, फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
4. यह पूरा घटनाक्रम जनसंपर्क विभाग और उसके शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
5. पत्रकार को अपराधी शब्द लिख कर सम्बोधित किया।

हमारी माँगें :

1. सहायक संचालक नूतन सिदार के विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर सेवा से बर्खास्तगी की जाए।
2. विभागीय सर्वोच्च अधिकारी जनसंपर्क आयुक्त इस शर्मनाक प्रकरण के लिए सार्वजनिक माफीनामा जारी करें।
3. चुंकि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का है और संवाद प्रमुख डॉ रवि मितल के कंधों पर उनकी छवि को सुधारने का दायित्व प्रमुख रूप से दिया गया है विभाग के एक अधिकारी के द्वारा पत्रकारों को फसाने की साजिश की जा रही है इसलिए सार्वजनिक रूप से संवाद प्रमुख को माफीनाम देना होगा ।।
4. इस प्रकरण की विशेष उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कराई जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
5. यह घटनाक्रम सिविल सेवा आचरण नियम 1964 एवं 1965 का खुला उल्लंघन है। अतः इस आधार पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

कार्यालय कलेक्टर

प्रेषित दि० 10/09/25

हस्ताक्षर............

आवक शाखा

जशपुर (छ.ग.)

जशपुर का यह प्रकरण केवल एक जिले का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए खतरे की घंटी है। यदि शासन-प्रशासन द्वारा त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह संदेश जाएगा कि सरकार पत्रकारों की कलम तोड़ने की मुहिम चला रही है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त माँगों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए।

भवदीय,
संयुक्त पत्रकार संघ
जशपुर, छतीसगढ़

जितेन्द्र कुमार जायसवाल
पंकज सिंह
मो० असगर [illegible]
नरेश [illegible] जायसवाल
अखिलेश मिश्रा
कार्तिकराम पोर्ते
तेजकुमार साहू
अमित गुप्ता
रोहित चौहान
मुकुन्द कौशिक
Sweeta Narayan
S-SANTOSH KUMAR
सुजीत जायसवाल
Munna Ram
सद्दाम अंसारी
दीपक वर्मा

BHARAT SAMMAN
MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
OUR STRENGTH • हमारी शक्ति
Ministry of MSME, Govt. of India
UDYAM-CG-16-0006830
Bharatsamman.com | Bharat samman | Bharat Samman

14 वर्ष निर्भीक पत्रकारिता के
अब 15वें वर्ष की ओर
पाठकों/दर्शकों का असीम स्नेह

वर्ष-15 अंक-89 — अम्बिकापुर, शुक्रवार 12 सितंबर 2025 — कुल पृष्ठ-4 मूल्य-1.00 रु.

पत्रकारों पर नोटिस और मानहानि कार्रवाई के विरोध में

संगठनों का हल्ला बोल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा ज्ञापन

भारत सम्मान/ न्यूज

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री के गृह ज़िले जशपुर में पत्रकारों पर नोटिस थोपने और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी के विरोध में जिलेभर के पत्रकार संगठनों ने शुक्रवार को ज़िला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक नूतन सिदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। पत्रकारों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि नूतन सिदार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की आड़ लेकर पत्रकारों को एक-एक करोड़ रुपये की मानहानि नोटिस थमाई है। यह कदम न केवल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। पत्रकारों का कहना है कि इससे साफ प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं।

ज्ञापन में लगाए गए आरोप

पत्रकारों ने अपने ज्ञापन में विस्तार से लिखा है कि

- इस पूरे प्रकरण पर जिला कलेक्टर द्वारा चुप्पी साध लेना दुर्भाग्यपूर्ण और संदिग्ध है।
- पत्रकारों को मानहानि नोटिस भेजकर अपमानित किया गया और लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँचाई गई।
- विभागीय अधिकारी जनसंपर्क आयुक्त के साथ मिलकर षड्यंत्र की पटकथा लिख रहे हैं।
- मुख्यमंत्री और संवाद प्रमुख को गुमराह कर गलत दिशा में धकेला गया है।
- पत्रकारों को अपराधी की तरह प्रस्तुत करने का कृत्य लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

पत्रकारों की प्रमुख मांगें

- नूतन सिदार के खिलाफ तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए।
- उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो सके।
- शासन-प्रशासन यह स्पष्ट करे कि पत्रकारों को धमकाने और मानहानि नोटिस भेजने का आदेश किसके दबाव में और क्यों दिया गया।
- जनसंपर्क विभाग में सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में पत्रकारों को ऐसी प्रताड़ना का सामना न करना पड़े।

आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन में पत्रकारों ने स्पष्ट कहा कि यह मामला केवल जशपुर जिले का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। यदि इस पर त्वरित और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो राज्यभर के पत्रकार उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

पत्रकारों की एकजुटता

ज्ञापन पर बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों, संगठनों के प्रतिनिधियों और युवा पत्रकारों के हस्ताक्षर दर्ज हैं। इससे साफ है कि इस मुद्दे ने पूरे पत्रकार समुदाय को एकजुट कर दिया है और सभी पत्रकार इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। यह समाचार अब स्थानीय ही नहीं, बल्कि राज्यस्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी तेज कर सकता है, क्योंकि मामला सीधे मुख्यमंत्री के गृह ज़िले से जुड़ा है।

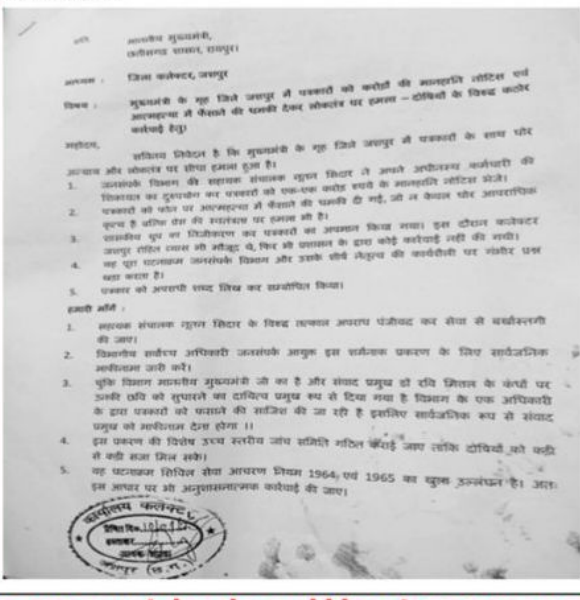

प्रति, माननीय मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

माध्यम : जिला कलेक्टर, जशपुर

विषय : मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में पत्रकारों को करोड़ों की मानहानि नोटिस एवं आत्महत्या में फंसाने की धमकी देकर लोकतंत्र पर हमला – दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में पत्रकारों के साथ घोर अन्याय और लोकतंत्र पर सीधा हमला हुआ है।

1. जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक नूतन सिदार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी की शिकायत का दुरुपयोग कर पत्रकारों को एक-एक करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस भेजे।
2. पत्रकारों को फोन पर आत्महत्या में फंसाने की धमकी दी गई, जो न केवल घोर आपराधिक कृत्य है बल्कि देश की स्वतंत्रता पर हमला भी है।
3. सार्वजनिक रूप से [illegible] पत्रकारों का अपमान किया गया। इस दौरान कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास भी मौजूद थे, फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
4. यह पूरा घटनाक्रम जनसंपर्क विभाग और उसके शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
5. पत्रकार को अपराधी शब्द लिख कर सम्बोधित किया।

हमारी मांगें :

1. सहायक संचालक नूतन सिदार के विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर सेवा से बर्खास्तगी की जाए।
2. विभागीय सर्वोच्च अधिकारी जनसंपर्क आयुक्त इस शर्मनाक प्रकरण के लिए सार्वजनिक माफीनामा जारी करें।
3. चूंकि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का है और संवाद प्रमुख डॉ रवि मित्तल के कंधों पर उनकी छवि को सुधारने का दायित्व प्रमुख रूप से दिया गया है विभाग के एक अधिकारी के द्वारा पत्रकारों को फसाने की साजिश की जा रही है इसलिए सार्वजनिक रूप से संवाद प्रमुख को माफीनामा देना होगा।।
4. इस प्रकरण की विशेष उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कराई जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
5. यह घटनाक्रम सिविल सेवा आचरण नियम 1964 एवं 1965 का खुला उल्लंघन है। अतः इस आधार पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (छ.ग.)

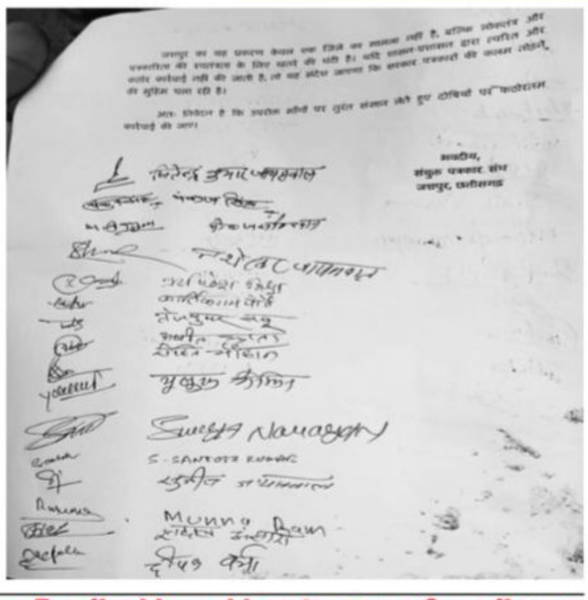

भवदीय,
संयुक्त पत्रकार संघ
जशपुर, छत्तीसगढ़

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Sr. No. का०/नो०/442/2025 Date 3/9/2025

प्रति,

ऋषिकेश मिश्रा
ग्राम–राजपुर (बथानपारा ढाप रोड)
तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
मो.नं.–9340992793

कानूनी नोटिस

मैं अपनी पक्षकारा नूतन सिदार सहायक संचालक, जन संपर्क कार्यालय जशपुर, जिला–जशपुर (छ0ग0) के अनुदेशानुसार आपको निम्नानुसार कानूनी नोटिस प्रेषित करता हूं :–

1. मेरी पक्षकारा जिला जन संपर्क कार्यालय जशपुर में सहायक संचालक पद पर कार्यरत एक कर्तव्य परायण ईमानदार एवं अपनी सेवा के प्रति समर्पित शासकीय अधिकारी है, जिसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में **अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को शासन के नियम कानून के अनुसार कार्य करने हेतु आदेशित एवं निर्देशित किया जाता है ।**
2. जिला जन संपर्क कार्यालय जशपुर में **रविन्द्र विश्वकर्मा नामक व्यक्ति अंशकालीन कर्मचारी के रूप में पदस्थ है** परंतु उक्त कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति निरंतर घोर लापरवाही व उदासीनता बरती जाती रही है, जिसके कारण मेरी पक्षकारा द्वारा समय–समय पर उसे यथोचित आदेश एवं निर्देश देकर **शासकीय कर्तव्यों का विधिवत निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है** एवं उसे निरंतर इस संबंध में समझाईश भी दी जाती रही है, जिससे रूष्ट होकर उक्त कर्मचारी ने **आप एवं आपके अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र की रचना करते हुये** मेरी पक्षकारा की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास करने का झूठा आरोप लगाकर मेरी पक्षकारा को ब्लेकमेल कर उसका भयादोहन करने एवं आप लोगों के साथ मिलकर इस भयादोहन और ब्लेकमेलिंग के अंतर्गत अवैध रकम की वसूली हेतु आप एवं आपके अन्य सहयोगियों की सहभागिता से आपके न्यूज पोर्टल में मेरी पक्षकारा का फोटो डालकर आपके मार्फत यह दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि मेरी पक्षकारा की प्रताड़ना से त्रस्त आकर एवं मेरी पक्षकारा द्वारा विधि विरुद्ध कार्य

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Sr. No. ________

Date ____________

कराये जाने से त्रस्त होकर अंशकालीन कर्मचारी रविन्द्रनाथ राम ने आत्महत्या का प्रयास किया है ।

3. किसी भी समाचार पत्र एवं किसी भी न्यूज पोर्टल में किसी भी प्रकार का समाचार प्रसारित व प्रकाशित करने के पूर्व **प्रेस एवं पत्रकारित पंजीकरण अधिनियम, 2023, के तहत तथा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत तथा समाचार पत्र (अपराध के लिये उकसावा) अधिनियम 1908** के तहत संपूर्ण सच्चाई का पता लगाना एवं जिस व्यक्ति के विरुद्ध समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित किया जाना हो, उसका भी पक्ष जानना आवश्यक है परंतु चूंकि आप अभिकथित रविन्द्र विश्वकर्मा के आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हैं इसलिये आपने मेरी पक्षकारा का पक्ष जानने का कोई प्रयास किये बिना ही मेरी पक्षकारा को **तंग, परेशान एवं प्रताड़ित करने हेतु, उसे ब्लेकमेल कर उससे अवैध रकम की वसूली हेतु एवं मेरी पक्षकारा की प्रतिष्ठा भंग करते हुए उसकी मान–हानि हेतु तथा मेरी पक्षकारा को अपमानित कर उसके प्रति लोक अशांति का माहौल बनाने हेतु** कथित रविन्द्र विश्वकर्मा के **झूठे तथ्यों पर आधारित इन्टरव्यू** के साथ यह समाचार सोशल मीडिया में प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया कि मेरी पक्षकारा द्वारा रविन्द्र पिता गेंदाराम से फोटोग्राफी, ड्रायविंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम, फोटो प्रदर्शनी तैयार कराने का काम तथा अपने निजी कार्य कराने का काम कराया जाता था तथा उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था तथा उसे SC ST Act में फंसा कर जेल भेजवा देने की धमकी दी जाती थी जिसके कारण लगातार प्रताड़ना और मानसिक दबाव से परेशान होकर 13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 7:30 बजे वह किटनाशक खाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया एवं किटनाशक का सेवन कर लिया ।

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मेरी पक्षकारा का फोटो डालकर उसके विरुद्ध गंभीर आरोप युक्त समाचार प्रसारित करने के पूर्व आपने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि रविन्द्र विश्वकर्मा ने वास्तव में विषपान किया था या नहीं एवं उसके द्वारा विषपान करने की कोई प्राथमिक साक्ष्य किसी हास्पिटल में या किसी वैज्ञानिक संस्थान में या पैथालॉजी रिपोर्ट में उपलब्ध है या नहीं ?

5. आपके द्वारा मेरी पक्षकारा का पक्ष ज्ञात किये बिना उपरोक्तानुसार समाचार सोशल मीडिया में प्रसारित करने के फलस्वरूप मेरी पक्षकारा के परिचितों एवं रिश्तेदारों एवं

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Sr. No. ________

Date ______________

कार्यालयीन कर्मचारियों तथा आम जनता के मध्य उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई तथा उसे घोर मानसिक कष्ट, वेदना और संताप उत्पन्न हुई तथा मेरी पक्षकारा चूंकि राजपत्रित शासकीय अधिकारी है मानसिक रूप से घोर प्रताड़ित हुई ।

6. मेरी पक्षकारा अपनी उपरोक्त क्षतियों का मूल्यांकन 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) करती है, जिसकी अदायगी हेतु तथाकथित रिपोर्टकर्ता एवं आपके सहयोगियों सहित आप स्वयं भी संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी हैं।
7. मेरी पक्षकारा के विरुद्ध इस नोटिस में वर्णित अपमानकारी संदेश/समाचार सोशल मीडिया में आपने उसे तंग, प्रताड़ित और परेशान करने के उद्देश्य से एवं उसका भयादोहन कर उससे अवैध रकम की वसूली करने अन्यथा उसे बदनाम कर देने के उद्देश्य से प्रसारित किया है तथा आप एवं आपके सहयोगियों ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही रविन्द्र विश्वकर्मा के साथ षड़यंत्र करके उसके विषपान करने एवं विषपान पश्चात पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाने का **षड़यंत्र पूर्ण कथानक** तैयार किया था एवं आप तथा आपके सहयोगियों के इस षड़यंत्र के ही कारण रविन्द्र विश्वकर्मा द्वारा बिना विषपान किये विषपान करने का नाटक करते हुये मेरी पक्षकारा के विरुद्ध **पूर्णतः झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई एवं तत्संबंध में झूठी शिकायतें प्रस्तुत की गई ।**
8. आपका उपरोक्त वर्णित कृत्य **सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 67 के अंतर्गत एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356(2), 356(3) एवं 352 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये आप पृथक से आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution)** के पात्र हैं ।
9. मेरी पक्षकारा द्वारा आपसे निम्नांकित दावाकृत प्रस्तावित अनुतोष प्राप्त न होने पर उक्त अनुतोषों की प्राप्ति हेतु आपके विरुद्ध वैधानिक एवं न्यायालयीन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाना प्रस्तावित एवं विचाराधीन है :–

    अ– मेरी पक्षकारा का पक्ष ज्ञात कर उससे लिखित क्षमा याचना करते हुये अभिकथित झूठे तौर पर प्रसारित समाचार का एक सप्ताह तक खेद सहित खण्डन प्रसारित करें तथा साथ ही मेरी पक्षकारा का पक्ष अपने समाचार में निरंतर एक सप्ताह तक प्रसारित करें ।

ASSOCIATES

Ashok Kumar Mishra 7440606320 | Ashish Kumar Mishra 9826178414 | Rajendra Patel 9340828563 | Vijay Sharma 7000421407 | Smt. Archana Pandey 9702783565 | Smt. Sharda Mulik 9340019747
Praveen Tripathi 9425290081 | Prashant Sharma 8889819990 | Sheetu Tripathi (Raipur) 78798 29708 | Bhawna Sahu (Raipur) 8770505775 | Asima Verma (Raipur) 9770872747 | Smt. Mamta Sharma 9424145152
vandana Kesharwani 7999775759 | Vidushi Sharma 9340276245 | Md. Asif Shaikh 7999868197 | Umesh Thawait 9098101176 | Nitesh Shrivas (Bilaspur) 7000326109 | Vandana Sahu (D 7828074082

OFFICE OF ASHOK KUMAR MISHRA, ASHISH KUMAR MISHRA
ADVOCATE BELADULA, RAIGARH (C.G.)
MO. NO. - 98261 78414, 74406 06320, 62325 05188
e- Mail : ashok566303@gmail.com
mishrakumarashishrgh@gmail.com

Sr. No. ________

Date ____________

ब– आपके अपकृत्य के परिणामस्वरूप मेरी पक्षकारा को व्युत्पन्न गहन मानसिक कष्ट, संताप एवं वेदना तथा मानहानि जनित मदों में मेरी पक्षकारा को 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) क्षतिपूर्ति रकम का भुगतान कर देवें ।

अतएव एतदद्वारा आपको आगाह किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर मेरी पक्षकारा को उसके द्वारा दावाकृत प्रस्तावित अनुतोष, जो इस नोटिस की कण्डिका 9 अ एवं ब में वर्णित हैं, मेरी पक्षकारा को प्रदान कर दें अन्यथा उक्त अनुतोषों की प्राप्ति हेतु मेरी पक्षकारा द्वारा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी जावेगी जिसके संपूर्ण व्ययों के वहन हेतु आप उत्तरदायी होगें, साथ ही आपके द्वारा मेरी पक्षकारा को इस नोटिस का मूल्य 10,000/–रू. भी देय होगा।

इस नोटिस की एक सत्यप्रतिलिपि आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के उद्देश्य से मेरे कार्यालय में सुरक्षित रख ली गई है।

इस नोटिस का मूल्य 10,000/–(दस हजार रूपये)

Ashok Kumar Mishra
Advocate
Beladula Raigarh (C.G.)
Regd. No.- 995/1992
Mob. No.- 7440606320

भवदीय
अशोक कुमार मिश्रा
एडवोकेट
रायगढ़ (छ0ग0)

नोट :– इस नोटिस की एक सत्य प्रतिलिपि थाना प्रभारी, पुलिस थाना लैलुंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यालय –
राकेश बेहरा
अधिवक्ता नवापारा घरघोड़ा,
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)
मोबाईल नं.– 7000573940

पंजीकृत नोटिस दिनांक 03.09.2025 का जवाब

प्रति,

श्रीमान् अशोक कुमार मिश्रा
अधिवक्ता, बेलादूला रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

महोदय,

मैं आपको अपने पक्षकार श्री ऋषिकेश मिश्रा ग्राम राजपुर (बथानपारा ढाप रोड़) तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ छ.ग. के निर्देशानुसार आपकी ओर से प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 का निम्नानुसार जवाब प्रेषित करते हुए आपके पक्षकार से पालन की अपेक्षा रखता हूं :–

1. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 01 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है।

2. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 02 के कथन " जिला जनसंपर्क कार्यालय जशपुर में पदस्थ है " के अतिरिक्त समस्त कथन असत्य, बनावटी, एवं निराधार होने से पूर्णतः अस्वीकार है।

3. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 03 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है। यह विशिष्ट रूप से अस्वीकार है, कि मेरे पक्षकार द्वारा आपके पक्षकार को तंग, परेशान एवं प्रताड़ित करने हेतु उसे ब्लैकमेल कर उससे अवैध रकम की वसूली एवं आपके पक्षकार के प्रतिष्ठा भंग करते हुए उसकी मानहानि हेतु उसे अपमानित कर लोक अशांति का माहौल बनाने हेतु रविन्द्र विश्वकर्मा के झूठे तथ्यों के इंटरव्यू के साथ सामाचार सोशल मिडिया में प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया गया।

विशिष्ट कथन :–

1. यह कि मेरे पक्षकार द्वारा आपके पक्षकार के उपर इस आशय के आरोप का समाचार पत्र प्रसारित किया गया कि आपके पक्षकार द्वारा रविन्द्रनाथ पिता गेंदाराम के फोटोग्राफी, ड्राईविंग, कम्प्यूटर

क्रमशः.....02

ऑपरेटर, फोटो प्रदर्शनी, तथा अपने निजी कार्य कराया गया, जिसके संबंध में रविन्द्रनाथ राम द्वारा आपके पक्षकार के विरुद्ध शिकायत की गई थी, और उक्त शिकायत के आधार पर मेरे पक्षकार द्वारा आपके पक्षकार के संबंध में समाचार प्रसारित किया गया ।

4. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 04 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है।

सत्य कथन यह है, कि रविन्द्रनाथ राम द्वारा आपके पक्षकार के प्रताड़ना से तंग आकर विषपान कर आत्म हत्या करने का प्रयास कियाा गया, जिसके संबंध में समस्त दस्तावेज उपलब्ध है।

5. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 05 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है।

सत्य कथन यह है, कि मेरे पक्षकार द्वारा मामले की जानकारी के आधार पर समाचार का प्रकाशन किया है।

6. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 06 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है।

सत्य कथन यह है कि आपके पक्षकार द्वारा मेरे पक्षकार से अवैध वसूली के लिए तथ्यहीन विधिक नोटिस प्रेषित कराया गया है, जिससे मेरे पक्षकार का पत्रकार जगत में अपमान हुआ है, इस हेतु आपके पक्षकार मेरे पक्षकार से सार्वजनिक मंच एवं सोशल मिडिया के माध्यम से 15 दिनों तक लगातार क्षमा याचना कर मेरे पक्षकार को मानहानि के स्वरुप 50,00,000रू. (पच्चास लाख रू.) अदा कर देवें, अन्यथा आपके पक्षकार के विरुद्ध मेरा पक्षकार प्रकरण संस्थित करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिसकी समस्त जवाबदेही आपके पक्षकार की होगी।

7. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 07 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है।

सत्य कथन यह है कि आपके पक्षकार द्वारा रविन्द्रनाथ राम के साथ किये गये प्रताड़ना के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर आपके पक्षकार के विरुद्ध विभिन्न समाचार संस्थाओं द्वारा खबर प्रकाशित किया गया है।

8. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 08 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है।

9. यह कि आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.09.2025 के कंडिका 09 के कथन पूर्णतः अस्वीकार है। वस्तुतः आपके पक्षकार द्वारा मेरे पक्षकार को अपने पदीय अधिकारों का दुरूपयोग कर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है,और लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर आघात करने की कुचेष्ठा की जा रही है, जिसके विरुद्ध मेरा पक्षकार यथोचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः आपको जवाब के जरिये आपके पक्षकार को ताकिद दी जा रही है कि आपकी पक्षकार मेरे पक्षकार को अनावश्यक परेशान करना बंद करें, अन्यथा मेरे पक्षकार आपके पक्षकार के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अन्य प्रकरण संस्थित करने हेतु विवश होगा, जिसके समस्त खर्च के अलावा इस नोटिस का अधिवक्ता शुल्क 10001अक्षरांक (दस हजार एक सौ रू.) की देनदारी आपके पक्षकार की होगी ।

इस नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय में भविष्य के अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ली गई है।

Sd/- (Rakesh Behra)

भवदीय

दिनांक 08.09.2025

राकेश बेहरा (अधिवक्ता)

Rajpur RIH SO 496115
RL RC334955827IN, IVR No1: 18002666868 भारतीय
09/09/2025 13:05:17, Counter No. 1
To: ASHOK KUMAR MISHRA
BELADULA , RAIGARH, 496001
From: RAKESH BEHRA
NAWAPARA GHARGODA , RAIGARH, 496111
Base Amt: 27.00, CGST:2.00, SGST:2.00
To: ASHOK KUMAR MISHRA
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक(शिकायत शाखा), जिला रायगढ़ (छ0ग0) !!

क्रमांकः- पुअ/राय/सीसी/सू.के अधि./ 27 /2025 दिनांकः 23.09.2025

प्रति,

थाना प्रभारी
थाना लैलूंगा जिला रायगढ़

विषय- ऋषिकेश मिश्रा निवासी ग्राम राजपुर (बधानपारा ढापरोड़) थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी के संबंध में।

संदर्भ- पत्र क्रमांक पुअ/राय/जसूअ/214/2025 दिनांक 13.09.2025

-::-

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के आवेदक ऋषिकेश मिश्रा निवासी ग्राम राजपुर (बधानपारा ढापरोड़) थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के द्वारा दिनांक 03.09.2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ को आवेदक नूतन सिदार सहायक संचालक जन संपर्क कार्यालय जशपुर द्वारा दिनांक 03.09.2025 को डाक के माध्यम से अनावेदक ऋषिकेश मिश्रा के विरूद्ध सोशल मीडिया में फोटो डालकर बदनाम करने संबंधी शिकायत डाक के माध्यम से प्रेषित की गई है। उक्त शिकायत की सत्यापित कापी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रेषित की गई है।

आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत शाखा के पत्र क्रमांक पुअ/राय/सीसी/जनता/1221/2025/दिनांक 03.09.2025 के तारतम्य में शिकायत जांच हेतु आपके कार्यालय की ओर भेजी गई है, जांच प्रतिवेदन आपके कार्यालय से आज दिनांक तक इस शाखा में अप्राप्त है।

उपरोक्त के संबंध में थाना प्रभारी लैलूंगा जिला रायगढ़ संज्ञान लेकर आवेदक को शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए चाही गई वांछित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदाय करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रभारी शिकायत शाखा
पु.अ. कार्यालय रायगढ़

प्रतिलिपि:- जन सूचना अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

23/09/2025
प्रभारी शिकायत शाखा
पु.अ. कार्यालय रायगढ़

!! कार्यालय जन सूचना अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ (छ०ग०) !!

क्रमांक / उपुअ / राय / जसूअ. / 20 / 2025, दिनाक 31,10.2025

प्रति,

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़,जिला रायगढ.

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :– अपीलार्थीः–ऋषिकेश मिश्रा निवासी मु.पो. राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) लैलूगा जिला रायगढ़ (छ.ग.) का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2025, इस शाखा मे प्राप्ति दिनाँक 31.10.2025

—— 0000 ——

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयांकित संबंध मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी–:–ऋषिकेश मिश्रा निवासी मु.पो.राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) लैलूगा जिला रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 12.09.2025 को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम आवेदन पत्र से प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र द्वारा दिनांक 02.09.2025 व 03.09.2025 को पुलिस अधीक्षक रायगढ को डाक के माध्यम से दिये गये शिकायत की सत्यापित कॉपी चाही गयी है। जो की जनसूचना अधिकारी पुलिस कार्यालय रायगढ द्वारा शिकायत शाखा रायगढ को जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। परन्तु शिकायत शाखा द्वारा जानकारी थाना लैलूगा से संबंधित होने से दिनांक 23.09.2025 को थाना लैलूगा को आवेदक को जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2025 को धारा 06 (03) के तहत अंतरित किया गया है। जिसमे आज दिनांक तक आवेदक को जानकारी प्रदाय नही किया गया है। थाना लैलूगा का पर्यवेक्षण आपके अधीनस्थ होने से आप प्रथम अपीलीय अधिकारी है।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा (06)(03) के तहत अंतरित की गई है। वांछित जानकारी 30 दिवस में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिसमें कार्यालयीन पत्राचार भी शामिल है। आप दर्शित समय सीमा के भीतर आवेदक को जानकारी प्रदाय कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही कराये जाने एवं सूचना देने में विलंब होने की स्थिति में आप अधिनियम की धारा 05 (04) के अनुसार स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उप पुलिस अधीक्षक
जन सूचना अधिकारी
पुलिस कार्यालय, जिला रायगढ (छ.ग)

प्रतिलिपि :–

अपीलार्थी :–ऋषिकेश मिश्रा निवासी मु.पो. राजपुर (बथानपारा ढाप रोड) लैलूगा जिला रायगढ़ .(छ.ग.) को सूचनार्थ। आपका एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़, जिला रायगढ.(छ.ग.) है।

उप पुलिस अधीक्षक
जन सूचना अधिकारी
पुलिस कार्यालय, जिला रायगढ़ (छ.ग)

धरमजयगढ़ SDOP की नाक के नीचे 'खाकी' का खेल? नूतन सिदार को बचाने के लिए रद्दी की टोकरी में डाला गया आरटीआई कानून !...

दबंग दुनिया » रायगढ़/धरमजयगढ़

क्या रायगढ़ पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है या रसूखदार 'साहबों' की चमचागिरी करना? यह सवाल इसलिए, क्योंकि जशपुर के सहायक जनसंपर्क अधिकारी (APRO) नूतन सिदार द्वारा सोशल मीडिया पर की गई बदनामी के मामले में पुलिस विभाग ने 'शर्म' को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस पूरे खेल में अब सबसे बड़ा सवालिया निशान एसडीओपी (SDOP) धरमजयगढ़ की भूमिका और उनकी मॉनिटरिंग पर लग गया है।

नूतन सिदार : वो 'साहब' जिनके लिए नियम हुए बौने - मामला बेहद संगीन है। राजपुर निवासी ऋषिकेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि APRO नूतन सिदार ने अपराधी लिखकर बदनाम किया। एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा ऐसी हरकत 'साइबर अपराध' और 'मानहानि' की श्रेणी में आती है। दिनांक 02.09.2025 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी गई। कायदे से तो अब तक नूतन सिदार पर एफआईआर (FIR) होकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई तो दूर, पुलिस शिकायत की एक कॉपी देने में भी पसीने छोड़ रही है। आखिर नूतन सिदार के सिर पर किसका हाथ है जो पुलिस उनके खिलाफ कलम चलाने से भी डर रही है?

कुंभकर्णीय नींद या मौन सहमति? - लैलूंगा थाना धरमजयगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत आता है। सितंबर से अक्टूबर का महीना खत्म हो गया, लेकिन लैलूंगा थाने ने परिवादी को जानकारी नहीं दी। **DSP ने खोला मोर्चा, अब SDOP की गर्दन फंसी :** पुलिस विभाग की अंदरूनी कलह और नाकामी तब जगजाहिर हो गई जब 31.10.2025 को जन सूचना अधिकारी (DSP, रायगढ़) ने अपनी लाचारी जाहिर कर दी। उन्होंने साफ लिख दिया है कि लैलूंगा थाने ने जानकारी नहीं दी, इसलिए अब धारा 6(3) के तहत यह सिरदर्द प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी SDOP धरमजयगढ़ को सौंपा जा रहा है। ? DSP के पत्र ने SDOP धरमजयगढ़ को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। पत्र में स्पष्ट चेतावनी है कि यदि 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं मिली और विलंब हुआ, तो अधिनियम की धारा 5(4) के तहत हर्जाना और जिम्मेदारी स्वयं SDOP की होगी। यानी अब तक जो फाइल थाने में धूल खा रही थी, अब वह SDOP की टेबल पर बम बनकर टिक-टिक कर रही है। **वर्दी की साख दांव पर:** यह मामला सिर्फ एक RTI आवेदन का नहीं है, यह उस वीआईपी कल्चर का है जहाँ एक अधिकारी (नूतन सिदार) को बचाने के लिए पूरा सिस्टम (लैलूंगा पुलिस और पर्यवेक्षण अधिकारी) एक आम आदमी को फुटबॉल बना देता है। अब देखना यह है कि क्या रउहढ धरमजयगढ़ इस नोटिस के बाद नींद से जागते हैं और नूतन सिदार की फाइल खोलते हैं, या फिर ॅभाई-भतीजावादॅ की रस्म निभाते हुए मामले को ठंडे बस्ते में ही रहने देते हैं।